

प्रेषक,

विवेक स्वरूप
वित्त नियंत्रक
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

प्रेषित

मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी,
हरिद्वार/पोड़ी/चमोली/रूद्रप्रयाग/नेनीताल/अल्मोड़ा/
ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़/चम्पावत/बागेश्वर।

संख्या 638 /ल०सि०/बजट/आवंटन(अनुरक्षण)/2024-25 दिनांक: 20 जुलाई, 2024

विषय:- लघु सिंचाई योजनाओं के अनुरक्षण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या E72255/322/II(3)/2024-03(05)/2024 दिनांक 18-07-2024 के द्वारा वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत निजी लघु सिंचाई योजनाएं हेतु स्वीकृत बजट प्राविधान के सापेक्ष विभाग की क्षतिग्रस्त मूलों के अनुरक्षण मद में रु० 503.52 लाख की धनराशि लघु सिंचाई विभाग के निम्नलिखित खण्डों से सम्बन्धित कार्यों हेतु अनुदान संख्या-20 के लेखाशीर्षक 2702-03-101-03-00 के अन्तर्गत अर्जित की गयी है। तत्क्रम में मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग के अनुमोदनोपरान्त, उक्त धनराशि सन्दर्भित शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित खण्डों को निम्नानुसार निर्गत की जा रही है :-

DDO कोड	खण्ड का नाम	कोषागार	निर्गत धनराशि
2235	लघु सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	हरिद्वार	41.01
2235	लघु सिंचाई खण्ड, पोड़ी	पोड़ी	87.05
2235	लघु सिंचाई खण्ड, चमोली	चमोली	60.00
2235	लघु सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	40.80
2235	लघु सिंचाई खण्ड, नेनीताल	नेनीताल	51.35
2235	लघु सिंचाई खण्ड, ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर	40.09
2235	लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	45.48
2235	लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	59.69
2235	लघु सिंचाई खण्ड, चम्पावत	चम्पावत	40.00
2235	लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	बागेश्वर	38.05
		योग :-	503.52

(धनराशि लाख रु० में)

(रूपये पाँच करोड़ तीन लाख बावन हजार मात्र)

अतः उक्तानुसार लघु सिंचाई खण्डों को रु० 503.52 लाख मात्र की धनराशि का निर्गमन संलग्न अलाटमेंट आई०डी० के अनुसार सम्बन्धित खण्ड के निर्वर्तन पर व्यय हेतु किया जाता है।
संलग्न : उक्तानुसार।

भक्तिय
Vivek Swarup
(विवेक स्वरूप)
वित्त नियंत्रक

संख्या ✓ /ल०सि०/बजट/आवंटन(अनुरक्षण)/2024-25, दिनांक : उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्न को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
- 4- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18-07-2024(छायाप्रति संलग्न) में दिये निर्देशानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।
- 5- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18-07-2024 (छायाप्रति संलग्न) में दिये निर्देशानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उक्तानुसार।

(विवेक स्वरूप)
वित्त नियंत्रक